प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 18.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त कैलाश उर्फ छिन्द्रा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी नाला रोड संगम विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को नाला रोड मदन बिल्डर्स के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने मौका पाकर इन्द्रापुरी से चोरी कर ली थी । आज मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कैलाश उर्फ छिन्द्रा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी नाला रोड संगम विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से चोरी के 02 अभियोग, आयुध अधिनियम के 02 अभियोग व जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है । **(कुल अभियोग-06)** । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 13980/- रुपये बरामद ।

दिनांक 09.12.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का शटर तोडकर 04 लाख 20 हजार रुपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 17.12.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1- मुस्तकीम पुत्र मुर्सलीन निवासी मौहल्ला शाहजमाल कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ हाल पता मुगल गार्डन गांव पिपलैडा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 28 वर्ष 2- सलमान पुत्र शौकीन निवासी मौहल्ला शाहजमाल कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 13980/- रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारी (मुस्तकीम, सलमान व इरशाद की) पहले से आपस में जान पहचान थी हम तीनो मूल रूप से किठौर जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। हमने मसूरी क्षेत्र स्थित एक दुकान से लगभग 01 सप्ताह पूर्व मौका पाकर चोरी कर ली थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

1.मुस्तकीम पुत्र मुर्सलीन निवासी मौहल्ला शाहजमाल कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ हाल पता मुगल गार्डन गांव पिपलैडा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 28 वर्ष।

2- सलमान पुत्र शौकीन निवासी मौहल्ला शाहजमाल कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष।

<u>वांछित अभियुक्त का नाम व पता –</u>

इरशाद पुत्र हसमत निवासी मौहल्ला शाहजमाल ,कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ ।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व मारपीट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2025 को अम्बेडकर कॉलोनी बेहटा में वर्चस्व के लेकर दो पक्षों द्वारा पुराने विवाद को लेकर आपस में ईट-पत्थर बरसाते हुए एक-दूसरे को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना तथा एक दूसरे की जान जोखिम में डालना तथा एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 191(2)/191(3)/190/125/109(1)/351(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रथम पक्ष के अभियुक्तगण 1. पीयूष उर्फ पीला पुत्र सुनील निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वितीय पक्ष के 1.अमन पुत्र संजीव निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2. गौरव पुत्र हरिपाल नि0 364 न्यू सीमापुरी दिलशाद गार्डन दिल्ली व दिनांक 14.06.2025 को प्रथम पक्ष के अभियुक्त विशाल पुत्र प्रेमसिंह निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 18.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर कृष्णा डेरी के पास लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि मेरा अमन से वर्चस्व को लेकर पुराना विवाद है जिसको लेकर मई महीने में हमारे बीच में कहासुनी हो गयी थी जिसमें हम एक दूसरे पर हमलावार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नितिन कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर कृष्णा डेरी के पास लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 11999/- रू की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 18.12.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री सौरभ नागर निवासी बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 11999 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री सौरभ नागर के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि उसके पास किसी अज्ञात मोबाइल नम्बर से उसके जान पहचान का व्यक्ति बनकर ऑनलाइन ठगी की थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 18/12/2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 11999 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना क्रोसिंग रिपब्लिक।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13.12.2025 को वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि हेमंत शाह द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना तथा गर्भपात करा देना, गाली गलौच व धमकी देना जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर धारा 115(2), 352, 351(2), 69, 89 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.12.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित अभियुक्त हेंमत पुत्र छोटू शाह निवासी न्यू विकास नगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता किरायेदार जीपी पाण्डे का मकान मात्रिका विहार नियर शिव पार्क खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को इतवार पुस्ता के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त हेमंत उपरोक्त ने पूछने पर बताया मेरी वादिया उपरोक्त की शादी होने के बाद दोस्ती हो गयी थी तथा वादिया शादी करने के लिये कह रही थी। मेरी उससे दोस्ती होने के कारण मैने शादी के लिये कहा था कि वह अपने पति से तलाक लेने के बाद मै शादी कर सकता हूँ वह राजी हो गयी थी लेकिन उसका अभी तक अपनी पति से तलाक नही हो पाया है तथा बात-बात पर झगडा भी करती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- हेंमत पुत्र छोटू शाह निवासी न्यू विकास नगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता किरायेदार जीपी पाण्डे का मकान मात्रिका विहार नियर शिव पार्क खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त हेंमत पुत्र छोटू शाह उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर दुष्कर्म से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक/तत्कालीन उ0नि0 श्री राम नारायन सिंह थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा की गयी विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 354 भादवि व 9/10 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त कपिल पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद को मा०न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को धारा 354 भादवि में 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 10 पॉक्सो अधि0 में 06 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर पड़ोसी के घेर (प्लाट) में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना, जिसके सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर दिनांक 05.05.2020 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

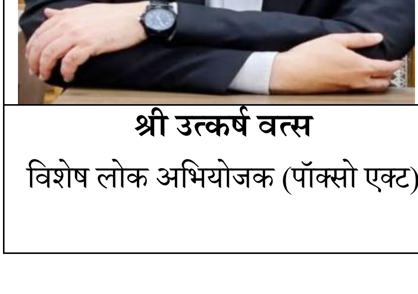		
श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0आ0 सोनिया** पैरोकार थाना मोदीनगर